राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1143/2014/जयपुर

मैसर्स पी.सी.ढढ्ढा एक्सपोर्ट प्रा.लि.,
3815, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–H, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 76/अ.प्रा.–II/आरवीएटी/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत एच, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55 एवं 58 के तहत् कायम मांग राशि रूपये 91,839/– में से कम्पोजिशन राशि रूपये 39,930/–, ब्याज राशि रूपये 11,979/– को यथावत् रखा है, तथा आरोपित शास्ति राशि रूपये 39,930/– में से शास्ति राशि रूपये 5,000/– को यथावत रखते हुए इससे अधिक की शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 12.02.2013 को किया जाकर जैम्स एवं स्टोन की प्रशमन योजना, 2006 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी की कम्पोजीशन राशि रूपये 39,930/– निर्धारित की गयी है तथा इस राशि के अदेय रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत् ब्याज राशि रूपये 11,979/– आरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट–10ए पेश नहीं करने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में शास्ति रूपये 39,930/– आरोपित की गयी है। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.04.2014 द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कम्पोजीशन राशि एवं ब्याज को यथावत रखा एवं आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 5,000/– से अधिक की शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने कम्पोजीशन राशि जमा नहीं करवायी क्योंकि वह कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहता था अतः अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरोपित प्रशमन राशि, ब्याज एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। उन्होंने अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जैम्स एवं स्टोन की प्रशमन योजना, 2006 का लाभ वर्ष 2009–10 में लिया गया है। उक्त प्रशमन योजना के क्लॉज 5.2 में स्पष्टतया अंकित किया हुआ है कि स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र दो वर्ष के लिए वैध रहेगा। अतः आलोच्य अवधि वर्ष 2010–11 हेतु अलग से विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। अतएव आलोच्य अवधि वर्ष 2010–11 में अपीलार्थी पर कम्पोजीशन स्कीम फॉर जैम्स एवं स्टोन्स, 2006 के प्रावधान लागू होंगे। अतः अपीलीय अधिकारी ने सशक्त अधिकारी के आदेश एवं रेकार्ड की पूर्णरूपेण जांच करते हुए, जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 04.04.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष